भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †5153

सोमवार, 4 अप्रैल, 2022/14 चैत्र, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

मेघालय में पर्यटकों को यातायात सुविधाएं

†5153. श्री विनसेंट एच. पालाः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मेघालय के बाहरी इलाकों में पर्यटन स्थलों तक पहुँचने के लिए परिवहन में सुधार हेतु कोई सुधार/प्रोत्साहन देने हेतु कोई कार्रवाई की है;

(ख) क्या सरकार ने पर्यटकों को विदेशी भाषाओं में सहायता करने के लिए गाइडों के प्रशिक्षण हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में हवाई यात्रा के किराए में कमी को प्रोत्साहित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पर्यटन मंत्रालय ने सड़क संपर्क में सुधार के लिए पहले चरण में प्रतिष्ठित स्थलों और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों सहित 50 पर्यटन स्थलों की सूची और बाद में दूसरे चरण में 114 मार्गों की सूची सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राज्य सरकार और सीमा सड़क संगठन के साथ साझा की थी।

सड़क संपर्क में सुधार के लिए मेघालय राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित पर्यटन स्थलों की सूची भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ साझा की गई है।

(ख): पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता प्रमाणन (आईआईटीएफ) कार्यक्रम शुरू किया है– यह एक डिजिटल पहल जिसका लक्ष्य देश भर में सुप्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधा प्रदाताओं का एक पूल बनाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण मंच बनाना है। यह प्रणाली प्रत्याशियों के लिए बुनियादी, उन्नत (विरासत और साहसिक), मौखिक भाषा और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करती है। प्रत्याशी इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को कहीं से भी और किसी भी समय और अपनी गति से पूरा कर सकते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को विभिन्न डिजिटल उपकरणों से संचालित (एक्सेस) किया जा सकता है। कार्यक्रम को 01.01.2020 से ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। यह प्रमाणन कार्यक्रम

भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) ग्वालियर द्वारा आयोजित किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अग्रिम चरण (आईआईटीजी-विरासत) में क्षेत्रीय स्तर के गाइडों (आरएलजी) को भी शामिल किया गया है और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के पूरा होने पर उनका नाम बदलकर अतुल्य भारत पर्यटक गाइड (आईआईटीजी) कर दिया गया है। उनमें से कुछ पहले से ही भाषा विशेषज्ञ हैं जिन्हें विदेशी भाषा का ज्ञान है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय थाई, जापानी, चीनी और वियतनामी जैसी विदेशी भाषाओं के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले भाषाई पर्यटक सुविधा प्रदाता (एलटीएफ) कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

(ग): हवाई किराए सरकारों द्वारा विनियमित नहीं हैं। वायु-यान नियमवाली 1937 के नियम 135 के उप नियम (1) के प्रावधान के तहत एयरलाइंस सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित किराया (टैरिफ) तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें संचालन की लागत, सेवा की विशेषताएं, उचित लाभ और आम तौर पर प्रचलित टैरिफ शामिल हैं। एयरलाइनों द्वारा इस प्रकार स्थापित हवाई किराया वायुयान नियमावली 1937 के नियम 135, के उप नियम (2) के प्रावधान के तहत उनकी संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।

तथापि, नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को प्रोत्साहित करने और जनता के लिए हवाई यात्रा को सस्ती बनाने के लिए 21-10-2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की है। 2016 में उड़ान योजना की शुरुआत करते हुए, सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क मार्गों के तहत प्रति सीट लगभग 500 किलो मीटर (एक घंटे की उड़ान के बराबर) की दूरी के लिए 2500 रुपए हवाई किराया तय किया है। यह तय राशि उड़ान योजना दस्तावेज़ में निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार अनुक्रमण के अधीन है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह को योजना दस्तावेज में प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। योजना दस्तावेज़ प्राथमिकता वाले क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए व्यवहार्यता अंतर निधिकरण (वीजीएफ) सहित इच्छुक एयरलाइन ऑपरेटरों को मार्गों के लिए बोलियों में भाग लेने के लिए अधिक लाभ प्रदान करता है।

****